झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड

unicef

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान

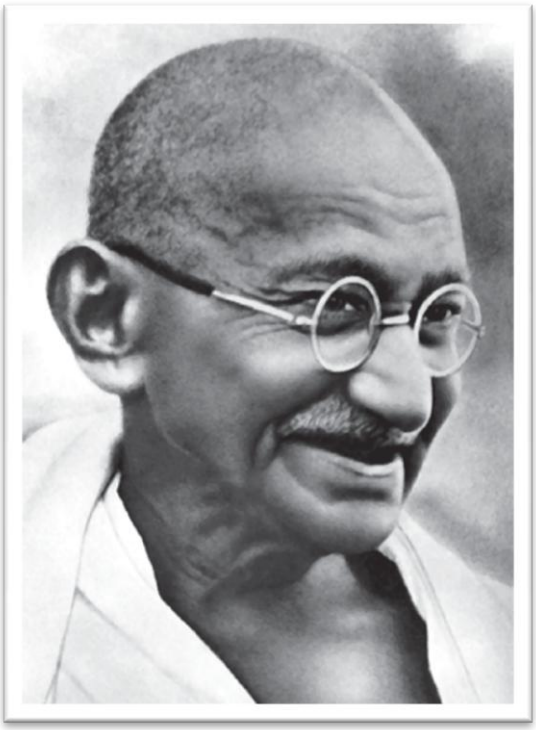

स्वतंत्रता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है स्वच्छता

– महात्मा गाँधी जी

उन्होंने सफाई और स्वच्छता को गाँधीवादी जीवनशैली का अभिन्न अंग बना दिया था। सबके लिए पूर्ण स्वच्छता ही उनका मिशन था।

''..... आज मैं एक शुरुआत करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि देश के सारे स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था हो। तभी वो दिन आएगा जब हमारी बेटियों को बीच में पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ेगी। हमारे सांसदों के पास सांसद निधि होती है। मैं सभी सांसदों से आह्वान करता हूं कि वे अगले एक साल तक इस निधि को स्कूलों में शौचालय बनवाने के लिए खर्च करें। सरकार को शौचालयों का बदोंबस्त करने के लिए अपने बजट का सदुपयोग करना चाहिए। मैं व्यवसाय जगत से भी आह्वान करता हूं कि आप व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी) के तहत अपने बजट को स्कूलों में शौचालयों के निर्माण पर खर्च करें। राज्य सरकारों की मदद से यह लक्ष्य एक साल में पूरा हो जाना चाहिए ताकि अगली 15 अगस्त को हम दृढ़ता के साथ इस बात का ऐलान कर सकें कि अब भारत में कोई ऐसा स्कूल नहीं बचा है जहां लड़कों और लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं है।''

– श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त 14

''लड़कियों को शिक्षित करना मेरी प्राथमिकता है। मैंने देखा है कि जब लड़कियां तीसरी या चौथी कक्षा में पहुंचती हैं तो वे पढ़ाई छोड़ने लगती हैं क्योंकि स्कूलों में उनके लिए अलग शौचालय नहीं होता। ऐसे में उन्हें स्कूल में सहज महसूस नहीं होता। सभी स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए शौचालय तो होना ही चाहिए। हमें इस बात पर पूरा जोर लगाना चाहिए कि लड़कियां पढ़ाई न छोड़ें।''

– श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
शिक्षक दिवस, 5 सितम्बर 2014

प्रस्तावना

'स्वच्छ विद्यालयः स्वच्छ बच्चे' एक अभियान है । यह सुनिश्चित करना इस अभियान का एक मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के प्रत्येक स्कूल में जल, सफाई और स्वच्छता सुविधाओं की एक निश्चित और सक्रिय व्यवस्था हो । स्कूलों में जल, सफाई और स्वच्छता का आशय तकनीकी एवं मानव विकास के ऐसे आयामों के समुच्चय से है जाकि एक स्वस्थ विद्यालीय वातावरण रचने और उपयुक्त स्वास्थ एवं स्वच्छता संबंधी व्यवहार विकसित व प्रोत्साहित करने के लिए अनिवार्य होते है । इसके तकनीकी आयामों में स्कूल परिसर के भीतर बच्चों और अध्यापकों के लिए पीने का जल, हाथ धोने की व्यवस्था, शौचालय और साबुन की सुविधाओं को गिनाया जा सकता है । दूसरी तरफ, मानव विकास संबंधी आयामों में वे गतिविध्यिाँ आती हैं जिनके जरिए हम स्कूल के भीतर ऐसी परिस्थितियों और ऐसी आदतों को विकसित कर सकते हैं जिनकी मदद से जल, सफाई एवं स्वच्छता संबंधी बिमारियों को रोका जा सकता है । **'स्वच्छ विद्यालयः स्वच्छ बच्चे'** का मकसद है कि स्वच्छता संबंधी व्यवहारों को प्रात्साहन देकर और स्कूल के भीतर उपलब्ध जल एवं स्वच्छता सुविधाओं के सामुदायिक स्वामित्व को बढ़वा दिया जाए और पाठ्यचर्या व शिक्षण पद्धतियों में सुधार लाया जाए । इससे बच्चों के स्वास्थ्य, दाखिलों की संख्या, हाजिरी और रिटेंशन की दर में सुधार आता है और स्वस्थ बच्चों की एक नई पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त होता है । लिहाजा, राज्य सरकार, जन प्रतिनिधियों, नागरिकों और अभिभावकों की जिम्मेदारी है वे यह सुनिश्चित करें कि हर बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़े जहाँ पीने का साफ जल, सफाई और स्वच्छता की समुचित सुविधाएँ हों । यह हर बच्चे का अधिकार है ।

शुभकामनाओं सहित,

(मीरा यादव)
मंत्री,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता
विभाग

प्रस्तावना

बच्चे देश के भविष्य है। नये विचारों एवं अवधारणाओं के संवाहक एवं उतप्रेरक दोनों रूप में बच्चों की अहम भूमिका है। स्वच्छ तन–मन में स्वस्थ बुद्धि का विकास होता है। सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत जैसे महत्वकांक्षी राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से ज्यादातर विद्यालयों में शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। लोक उपक्रमों के माध्यम से भी सी0एस0आर0 गतिविधियों के तहत निर्माण कार्य किये जा रहे है। हमारा लक्ष्य है विद्यालयों में स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का सतत् उपयोग एवं रखरखाव समुचित रूप से होता रहे। कई विद्यालयों में शौचालय की अक्रियाशीलता के कारण छात्राओं को पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है जो कि हम सबों के लिए अत्यन्त चिंता एवं दुख का विषय है। अतः सभी विद्यालयों में शौचालय को स्वच्छ एवं क्रियाशील रखना तथा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। आवश्यकता है कि बच्चों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतें जैसे– साबुन से हाथ धोना, पेयजल को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखना, व्यक्तिगत स्वच्छता तथा विद्यालय एवं आस–पास के क्षेत्र की स्वच्छता के प्रति जागरूक बनना इत्यदि का विकास हो। साथ ही लोगों के मन में स्वच्छता संबंधी मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए वैचारिक हस्तक्षेप की भी आवश्यकता है। स्वच्छता का केन्द्र बिन्दु विद्यालय हो एवं बच्चों के माध्यम से उनके परिवार, समुदाय एवं गाँव में स्वच्छता का संदेश जाए। बच्चे अपने परिवार एवं समुदाय में स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतों से होने वाले लाभों को बताने वाले सबसे मजबूत प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये **''स्वच्छ विद्यालय : स्वस्थ बच्चे''** अभियान दिनांक 18.08.15 से 17.09.15 तक पूरे राज्य में संचालित किया गया था । प्रस्तुत मार्गदर्शिका विद्यालय स्तर पर स्वच्छता संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगा।

शुभकामनाओं सहित,

(आराधना पटनायक)

सचिव

स्वच्छ विद्यालय : स्वस्थ बच्चे।।

''स्वच्छ विद्यालय : स्वस्थ बच्चे'' एक अभियान के रूप में संचालित किया जाना है। यह सुनिश्चित करना इस अभियान का एक मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के प्रत्येक स्कूल में जल, शौचालय, सफाई और स्वच्छता सुविधाओं की एक निश्चित और सक्रिय व्यवस्था हो। स्कूलों में जल, शौचालय, सफाई और स्वच्छता का आशय तकनीकि एवं मानव विकास के ऐसे आयामों के समुच्चय से है जोकि एक स्वस्थ विद्यालीय वातावरण रचने और उपयुक्त स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी व्यवहार विकसित व प्रोत्साहित करने के लिए अनिवार्य होते हैं। इसके तकनीकि आयामों में स्कूल परिसर के भीतर बच्चों और अध्यापकों के लिए पीने का जल, हाथ धोने की व्यवस्था, शौचालय और साबुन की सुविधाओं को गिनाया जा सकता है। दूसरी तरफ, मानव विकास संबंधी आयामों में वे गतिविधियाँ आती हैं जिनके जरिए हम स्कूल के भीतर ऐसी परिस्थितियों और ऐसी आदतों को विकसित कर सकते हैं जिनकी मदद से जल, शौचालय, सफाई और स्वच्छता संबंधी बीमारियों को रोका जा सकता है। स्कूल में सफाई और स्वच्छता की स्थिति अध्यापकों, समुदाय सदस्यों, स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी), गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ), समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) एवं शिक्षा अधिकारियों की क्षमता में सुधार पर निर्भर करती है। स्कूल में जल, सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करने का मकसद यह है कि बच्चों, उनके परिवारों और समुदायों में स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यवहार में सुधार के जरिए बच्चों के स्वास्थ्य व स्वच्छता की स्थिति पर एक स्पष्ट प्रभाव डाला जाए। इसका एक उद्देश्य यह भी है कि स्वच्छता संबंधी व्यवहारों को प्रोत्साहन देकर और स्कूल के भीतर उपलब्ध जल शौचालय, एवं स्वच्छता सुविधाओं के सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा दिया जाए और पाठ्यचर्या व शिक्षण पद्धतियों में सुधार लाया जाए। इससे बच्चों के स्वास्थ्य, नामांकन की संख्या, उपस्थिति और ठहराव की दर में सुधार आता है और स्वस्थ बच्चों की एक नई पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त होता है। अतः हर बच्चा ऐसे स्कूल में

पढ़े जहाँ पीने का साफ जल, शौचालय, सफाई और स्वच्छता की समुचित सुविधाएं हों। यह हर बच्चे का अधिकार है।

संविधान :

- धारा 21–एः ''6 से 14 साल की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षाका मौलिक अधिकार है।''

कानून :

- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षाअधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009
- आरटीई अधिनियम, 2009 में कानूनन बाध्यकारी अधिकारों की रूपरेखा तय की गई है और इसके लिए कुछ निश्चित समय सीमाएं तय की गई हैं जिनका पालन करना सरकार के लिए अनिवार्य है। आरटीई अधिनियम की अनुसूची में स्कूली इमारत से संबंधित नियमों और मानकों (पेयजल एवं स्वच्छता सहित) को निर्धारित किया गया है। तदनुसार, स्कूल की इमारत ऐसी होनी चाहिए जो हर मौसम के लिए उपयुक्त हो, जिसमें हर अध्यापक के लिए कम से कम एक कक्षा हो, जहाँ आवाजाही सुगम हो, बालकों और बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय हों, सभी बच्चों के लिए पीने के जल का सुरक्षित और पर्याप्त बंदोबस्त हो।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे स्कूलों में शौचालय और पेयजल की व्यवस्था को प्राथमिकता दें।

नीति और कार्यक्रम :

- सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) एक समयबद्ध ढंग से प्रारंभिक शिक्षा सार्विकीकरण (यूईई) का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रारम्भ किया गया भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है।

इसके तहत सभी नए स्कूलों में जल, सफाई और स्वच्छता सुविधाओं का बंदोबस्त किया जाता है।

- अपराह्न भोजन कार्यक्रम (मिड डे मील) एक पोषाहार कार्यक्रम है जिससे राज्य के 40 हजार स्कूलों के लगभग 40 लाख बच्चों को लाभ मिल रहा है। इस कार्यक्रम के अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के लिए अपराह्न भोजन से पहले सामूहिक रूप से हाथ धोने की आदत को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मार्च 2009 में शुरू किए गए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) में माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने और उसकी गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर दिया गया है। इस कार्यक्रम में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि माध्यमिक स्कूल अच्छी कक्षाओं, स्तरीय शौचालय सुविधाओं और पीने के जल जैसी अवरचनागत सुविधाओं के बारे में निर्धारित मानकों का पालन करें और लैंगिक, सामाजिक–आर्थिक विकलांगता संबंधी भेदभावों और अवरोधों को दूर करें।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी), अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों की वंचित बालिकाओं को स्तरीय शिक्षाप्रदान करने के लिए आरम्भ किए गए हैं। इस कार्यक्रम के तहत अपर प्राइमरी स्तर पर बालिकाओं के लिए आवासीय स्कूल खोले गए हैं।

उदेद्श्य

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मापदंड के आलोक में प्रत्येक विद्यालय मे छात्र–छात्राओं के लिए अलग–अलग शौचालय होना अनिवार्य है। राज्य के सभी प्रारंभिक एवं उच्च विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के लिए अलग–अलग शौचालय एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना लक्ष्य है। साथ ही सभी विद्यालयों में उपलब्ध शौचालयों को उपयोग के लायक बनाना है। बच्चों, विशेषकर छात्राओं, को शौच के लिए बाहर नहीं जाना पड़े एवं शौचालय के अभाव में उनकी पढ़ाई बीच में न छुटे तथा विद्यालय के आस–पास गंदगी न फैले को सुनिश्चित किया जाना है। विद्यालय में उपलब्ध स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग एवं रखरखाव

एवं बच्चों में स्वच्छता संबंधी अच्छे व्यवहारों के विकास के लिए **''स्वच्छ विद्यालय : स्वस्थ बच्चे''** अभियान संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

इस अभियान के निम्नांकित उद्देश्य है :–

- विद्यालय में एक स्वच्छ एवं स्वस्थ भौतिक वातावरण का निर्माण।
- बालिकाओं के छीजन को रोकना।
- बीमारियों की रोकथाम, जिससे बच्चों की उपस्थिति में सुधार हो।
- बच्चों में स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतों का विकास।
- विद्यालय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक सभी की सहभागिता।
- बाल संसद की क्रियाशीलता।
- विद्यालय प्रबंधन समिति को जिम्मेवार एवं जवाबदेह बनाना।
- शिक्षकों को स्च्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील बनाना।
- स्वच्छता के संदेश को बच्चों के माध्यम से जन–जन तक पहुंचाना।
- बच्चों के मन में विद्यालय एवं समुदाय के प्रति गौरव एवं स्वामित्व का भाव पैदा करना।

स्वच्छता क्यों ?

❖ प्रभावी शिक्षण–अधिगम – स्वच्छता संबंधी व्यवहार को अपनाकर बच्चों में स्वस्थ मनमस्तिष्क का निर्माण होता है जिससे सिखने सीखाने की प्रक्रिया, अधिगम कौशल एवं सहभागिता बढ़ाने में मदद मिलती है।

❖ बीमारियों से रोक–थाम – स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतों से बच्चों को रोग मुक्त रखा जा सकता है जिससे बच्चे नियमित रूप से विद्यालय आ सकते है।

❖ बालिकाओं के छीजन दर को रोकना – स्वच्छ एवं क्रियाशील शौचालय के न होने से छात्राओं की पढ़ाई बीच में छुट जाती है तथा विशेष अवधी में वे असुरक्षित महसूस करती है।

❖ विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को अनुकूल सुविधा प्रदान करना।

❖ बच्चे परिवार एवं समुदाय के लोगों के व्यवहार में सुधार लाने के लिए प्रेरक एवं परिवर्तन के वाहक बन सकते हैं।

❖ स्वच्छ विद्यालय एवं समुदाय से बच्चों के मन में गौरव एवं स्वामित्व का बोध पैदा होता है।

स्वच्छ विद्यालय : स्वस्थ्य बच्चे अभियान अवधि :

यह अभियान पूरे राज्य में दिनांक 18 अगस्त से 17 सितम्बर 2015 तक संचालित किया जाएगा। इस अभियान के अन्तर्गत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी कई प्रकार की गतिविधियों का समावेश किया गया है। कुछ गतिविधियाँ दैनिक रूप से संचालित की जानी है ताकि बच्चों में अच्छी आदतें विकसित हो। राज्य स्तर पर इस अभियान का शुभारंभ दिनांक 18.08.15 को किया जा रहा है एवं जिला स्तर पर दिनांक 20.08.15 को तथा 21.08.15 को प्रखण्ड स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। दिनांक 22.08.15 से 17.09.15 तक विद्यालय स्तरीय कार्यक्रम संचालित किया जाएगा । श्रावणी मेला को दृष्टिपथ में रखते हुए दुमका एवं देवघर जिला में यह अभियान दिनांक 30.08.15 से 30. 09.15 तक संचालित होगा।

स्वच्छता के आयाम :

1. पेयजल

विद्यालय में पर्याप्त स्वच्छ जल की व्यवस्था हो। पेयजल को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखने हेतु बच्चों को प्रेरित किया जा सकता है। इसमें बाल संसद की भूमिका सुनिश्चित की जा सकती है ।

- पेयजल को ढक कर रखा जाए।
- पीने का पानी निकालने के लिए टिसनी का प्रयोग किया जाए।
- पेयजल रखने के बर्तन को प्रतिदिन साफ किया जाए।
- जल स्रोतो के इर्द–गिर्द सफाई की जाए।

2. शौचालय

- शौचालय का निर्माण पेयजल के स्त्रोत या पेयजल का स्त्रोत शौचालय के समीप हो यह सुनिश्चित किया जा सकता है।
- शौचालय निर्माण स्थल के चयन के समय छात्राओं की सुरक्षा एवं गोपनीयता को ध्यान रखा जाए।
- सॉकपीट एवं लीचपीट आवश्यक रूप से अलग–अलग निर्मित किए जाए।

- शौचालय में रैम्प आवश्यक रूप से हो ताकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सुविधा उपलब्ध।

- यूरिनल तथा शौचालय के फर्श व नालियों का उचित ढलान हो जिससे जल जमाव न हो सके।
- शौचालय की छत पर पानी की टंकी अवश्य रखी जाए।
- उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्राओं के लिए इन्सीनरेटर आवश्यक रूप से बनाया जाए।
- शौचालय में पर्याप्त वेन्टीलेशन हो।
- शौचालय में साबुन, फिनाईल, हारपिक, मग, झाड़ू एवं बाल्टी की व्यवस्था आवश्यक रूप से हो।
- शौचालय में पानी की नियमित व्यवस्था हो। इसके लिए बाल संसद के नेतृत्व में निर्मित दल के द्वारा चक्रानुक्रम रूप से जल उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी निर्धारित की जा सकती है।

- **सामूहिक रूप से हाथ धोने की व्यवस्था :–**

मध्यान्ह भोजन से पूर्व साबुन से हाथ धोने हेतु साबुन एवं सामूहिक ýप से हाथ धोने की स्थाई व्यवस्था हो। हाथ धोने का स्थान सरल, बच्चों की उंचाई के अनूýप, टिकाऊ एवं जरूरत के अनुरूप जल की व्यवस्था हो।

3. पाकशाला

- मध्याहन् भोजन पाकशाला में ही बनाया जाए।
- भोजन बनाने के पूर्व एवं बाद पाकशाला की सफाई प्रतिदिन की जाए।
- भोजन निर्माण प्रक्रिया में प्राप्त अपशिष्ट पदार्थों का उचित प्रबंधन एवं निबटान सुनिश्चित हो।
- किसी भी परिस्थिति में कूड़े–कचरे का जमाव पाकशाला के आस–पास न हो।
- कच्ची सामग्री के भंडारण की उचित व्यवस्था हो।
- धुआँ के निकास के लिए समुचित व्यवस्था हो।
- पके हुए भोजन को हमेशा ढक कर रखा जाए।

- भोजन परोसने के लिए उचित पात्रों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- रसोईयाँ की व्यक्तिगत सफाई पर विशेष बल दिया जाए।

4. वर्गकक्ष

- प्रार्थना सभा के 15 मिनट पूर्व वर्गकक्ष की सफाई प्रतिदिन हो।
- वर्गकक्ष के बाहर दरवाजे के पास कूड़ादान हो एवं उसका समुचित उपयोग किया जाए।
- वर्गकक्ष में धूल एवं गंदगी न हो।
- वर्गकक्ष में हवा एवं रोशनी आने के लिए खिड़कियाँ खुली रखी जाए।

5. विद्यालय परिसर

- विद्यालय परिसर स्वच्छ एवं हरा–भरा हो।
- कीचन गार्डन एवं फल–फूल के पौधे लगे हों। छात्र–छात्राओं को फल–फूल पौधे के रखरखाव की जिम्मेवारी दी जा सकती है।
- नियमित रूप से विद्यालय परिसर की साफ–सफाई हो।
- जल का निकास, कूड़े कचरे का निबटान एवं अन्य अनावश्यक चीजों को हटाने का उचित प्रबंध हो।
- मुख्य मार्ग पर अवस्थित विद्यालयों में चहारदीवारी उपलब्ध न होने की स्थिति में बायोफेंसिंग के माध्यम से अस्थायी चहारदिवारी का निर्माण करायी जा सकती है।
- विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण करते हुए बच्चों से फलदार एवं उपयोगी वृक्ष लगाया जाए एवं उसके देखभाल की जिम्मेवारी भी दी जाए।

6. **समुदाय** – विद्यालय एवं आस–पास के क्षेत्र में स्वच्छ वातावरण के निर्माण हेतु समुदाय एवं ग्राम स्तरीय संस्थाओं की अहम भूमिका है ।

- विद्यालय में स्वच्छता व्यवस्था को सुगम बनाना एवं उसका उचित प्रबंध तथा देख–रेख करना।
- विद्यालयों को प्राप्त अनुदान राशि का स्वच्छता व्यवस्था बहाल करने हेतु बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना।
- बच्चों के माध्यम से समुदाय के लोगों में स्वच्छता संबंधी व्यवहार परिवर्तन हेतु प्रयास करना।

- विद्यालय में आयोजित होनेवाली मासिक बैठकों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर चर्चा करना एवं आने वाले समस्याओं का निदान करना।
- विद्यालय स्तर पर योग्य चिकित्सकों के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु समन्वय स्थापित करना।
- स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों द्वारा जैसे बांस, हेज, पत्थर आदि से विद्यालय परिसर की घेराबंदी की व्यवस्था करना ताकि बच्चों के द्वारा लगाए गए पौधों को सुरक्षित रखा जा सके तथा विद्यालय आकर्षक लगे।

7. **व्यक्तिगत स्वच्छता**

स्वच्छता का सबसे महत्वपूर्ण आयाम बच्चों में व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना एवं बचपन से ही स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतों का विकास करना है।

- प्रतिदिन सुबह दातों का ब्रश या दातुन से सफाई करना।
- प्रतिदिन स्नान करना।
- साफ एवं सुखे हुए कपड़ो को धारण करना।
- नियमित रूप से नाखुन काटना।
- प्रतिदिन बालों में कंघी करना एवं छात्राओं द्वारा बालों को बांध कर रखना।
- नियमित रूप से बाल कटवाना।
- खाने से पहले एवं बाद में साबुन से हाथ धोना।

- पीने का पानी निकालने के लिए हमेशा टिसनी का प्रयोग करना।
- पीने के पानी में हाथ नहीं डालना।
- शौच के बाद अनिवार्य रूप से साबुन से हाथ धोना।
- नाक, कान, मुंह तथा आंखों में उंगलियाँ नहीं डालना।

- नाखुन को दातों से नहीं काटना।
- बाहर जाते समय जूता या चप्पल अवश्य पहनना ।

विद्यालय में बाल संसद के सहयोग से प्रतिदिन बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता की जांच करायी जा सकती है। व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी इन अच्छी आदतों के विषय में बच्चे अपने घर तथा समुदाय के लोगों को बतायेंगे।

विभागों का अभिसरण (Convergence)

अभियान के सफलता के लिए आवश्यक है कि विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित हो तथा सभी स्तरों पर एकीकृत रूप से कार्य किये जाय ताकि बेहतर परिणाम प्राप्त हो सके। निम्नांकित सारणी में विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित भुमिकाएँ स्पष्ट की गई है :

राज्य स्तर : स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, स्वास्थ विभाग, युनिसेफ, गैर सरकारी संस्थाओं	• संबंधित विभागों के साथ समन्वय • आई.ई.सी. सामग्री के निर्माण में तकनीकि सहयोग • क्षमता निर्माण • मार्ग दर्शन • कार्यक्रम का शुभारम्भ • अनुसमर्थन एवं अनुश्रवण
जिला स्तर : सभी जिलों के उपायुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिले के सर्व शिक्षा अभियान, संबंधित विभागों के पदाधिकारी, कार्य क्षेत्र वाले जिलों के गैर सरकारी संस्थान	• विभिन्न स्तरों पर समन्वय • उन्मुखीकरण • कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन • अनुसमर्थन एवं सहयोग • अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
प्रखण्ड स्तर : सभी प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं अभियन्ता, प्रखण्ड स्तरीय सर्व शिक्षा अभियान के पदाधिकारी/कर्मी/के.जी.बी.भी./साक्षर भारत/ महिला समाख्या	• शिक्षकों तथा समुदाय को जागरूक करना एवं सहभागिता सुनिश्चित करना। • निरंतर अनुसमर्थन एवं अनुश्रवण। • विभिन्न विभागों के साथ समन्वय एवं सहयोग।
विद्यालय स्तर : विद्यालय प्रबंधन समिति, ग्राम पंचायत, स्वच्छता समिति, शिक्षकगण, बाल संसद	• बच्चों का उन्मुखीकरण • आई.ई.सी. सामग्रीयों का सम्प्रेषण • बाल संसद की सक्रियता • सभी समितियों एवं संस्थाओं का सहयोग • स्वच्छता सुविधाओं का प्रबंधन एवं रख–रखाव • बच्चों के लिए रोचक गतिविधियों का संचालन

बाल संसद की भूमिका :

विद्यालय स्तर पर स्वच्छता सुविधाओं के समुचित उपयोग एवं बच्चों में स्वच्छता संबंधी व्यवहार परिवर्तन हेतु बाल संसद एक उपयोगी संस्था के रूप में कार्य कर सकती है। बाल संसद के नेतृत्व में स्वच्छता संबंधी गतिविधियों के संचालन हेतु विभिन्न दलों के निर्माण किया जा सकता है। प्रत्येक कक्षा में पढने वाले बच्चों को 6 बराबर भाग में बाँटा जा सकता है तथा 6 दलों का निर्माण किया जा सकता है। प्रत्येक दल छः विषयों पर कार्य करने हेतु अधिकृत होंगे। कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों से कार्य नहीं लिया जायेगा बल्कि उन्हें सीखाने के उद्देश्य से दल में शामिल किया जायेगा। प्रत्येक दल बाल–संसद की देख–रेख में किये गये कार्यों को अनुश्रवण करेंगे। यह भी सुनिश्चित करना है कि सभी कार्यों में सभी बच्चों की भूमिका हो ताकि बच्चे विद्यालय से स्वच्छ आदतों को सीखें, करें तथा उसे अपने घरों में भी व्यवहार में लाएँ। ऐसा करने से बच्चों के अभिभावक प्रेरित होंगे तथा वे भी स्वच्छता के महत्व को समझेगे एवं उसके प्रति संवेदनशील होंगे।

दिन/कार्य	सोमवार	मंगलवार	बुधवार	गुरूवार	शुक्रवार	शनिवार
व्यक्तिगत स्वच्छता जाँच का कार्य	दल1	दल6	दल5	दल4	दल3	दल2
शुद्ध पेयजल का रख–रखाव एवं उपयोग का कार्य	दल2	दल1	दल6	दल5	दल4	दल3
विद्यालय परिसर एवं शौचालय का समूचित रख–रखाव एवं उपयोग का कार्य	दल3	दल2	दल1	दल6	दल5	दल4
शौचालय में समूचित जल की व्यवस्था का कार्य	दल4	दल3	दल2	दल1	दल6	दल5
हाथ धोना एवं गंदे पानी का सही निस्तारण का कार्य	दल5	दल4	दल3	दल2	दल1	दल6
स्वच्छता सामग्रियों को सही जगह रखना एवं स्वच्छता अनुश्रवण बोर्ड को अद्यतन रखने का कार्य	दल6	दल5	दल4	दल3	दल2	दल1

विद्यालय प्रबंध समिति की भूमिका :

विद्यालय प्रबंध समिति विद्यालय स्तर पर बच्चों को स्वच्छता सुविधाएँ मुहैया कराने के लिए पूर्ण रूप से जवाबदेह होंगी।

- शौचालय निर्माण स्थल का चयन एवं ध्यान देने योग्य बॉते जैसेः शौचालय से जलस्रोत से दूरी, ढलान, गोपनीयता इत्यादि का ध्यान रखा जायेगा।
- शौचालय तक पहुॅचने के मार्ग सुगम हो एवं रास्ते में जल जमाव, गंदगी या झाड़ी न हो।
- चापाकल चालू हालत में रहें, खराब होने पर अविलम्ब मरम्मति की जाय।

- ठोस एवं तरल अपशिष्टों का निबटान हेतु उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- शौचालय में बाल्टी, मग, पानी, साबुन, फिनाईल, झाडू, हारपिक इत्यादि सामग्री की व्यवस्था की जाय।
- विद्यालयों को प्राप्त होने वाले अनुदान राशि का स्वच्छता संबंधी कार्यो में उचित उपयोग सुनिश्चित की जाय।

- विद्यालयों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रीयों से घेराबंदी करायी जा सकती है।
- सॉकपिट एवं लीचपिट आवश्यक रूप से अलग–अलग निर्मित किये जाय।
- शौचालय मे रैम्प का निर्माण आवश्यक रूप से हो।
- उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्राओं को सुरक्षा देने के लिए इन्सीनरेटर बनाया जाय।
- वर्ष में कम से कम दो बार बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाय।
- पेयजल स्रोतो के आसपास जल एवं दूषित पदार्थ का जमाव न हो।
- छत की दीवार एवं फर्श पर सीलन एवं दीमक का न होना सुनिश्चित किया जाय।
- पाईपों में अवरोध की नियमित जॉच करायी जाय।

- बैठक में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर चर्चा की जाय एवं आने वाले समस्याओं का निदान किया जाय।

प्रधान शिक्षक की भूमिका :

- विद्यालय स्वच्छता पर शिक्षकों एवं बाल संसद के सदस्यों के साथ चर्चा करना।
- आवश्यक सामग्री जैसे–बागबानी किट, स्वच्छता किट, आई.ई.सी. सामग्री आदि का उपयोग करना, विधिवत रिकार्ड रखना, समय–समय पर उसकी आपूर्ति भी करना।
- प्रत्येक माह विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक बुलाना एवं विद्यालय की गतिविधियों से अवगत कराते हुए ग्राम स्तर पर साफ–सफाई पर ध्यान देते हुए सुझाव देना।
- दिन चर्या इस प्रकार बनाना कि स्वच्छता के सभी घटक विद्यालय गतिविधि में ही समाहित हो जाए एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को और भी प्रभावी बनाया जाय।
- सामूहिक हाथ धुलाई हेतु बच्चों को निरंतर प्रेरित करते रहना।
- पाठ्य पुस्तकों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी अध्यायों पर शिक्षकों से चर्चा करना एवं उसके उददे्श्यों पर शिक्षकों एवं बाल सांसदों से चर्चा करना।
- विद्यालय परिसर में वर्ग कक्ष, पीने का पानी आदि पर ध्यान देना ।
- बाल संसद की नियमित बैठक आयोजित कराना।
- शिक्षकों के बीच कार्यो का आवंटन करना तथा एक शिक्षक को विद्यालय स्वच्छता का प्रभारी बनाना जो पूरे माह होने वाले गतिविधियों की देखरेख करें। बेहतर परिणाम वाले शिक्षकों का मनोबल बढ़ाते हुए विद्यालय स्तर पर पुरस्कृत भी किया जा सकता है ।

- समय–समय पर स्वच्छता से संबंधित बाल प्रतियोगिता यथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्विज, कहानियों, नुक्कड़ नाटक, प्रभारफोरी, सामुहिक श्रमदान आदि का आयोजन कराते रहना।
- विद्यालय में फर्स्ट एड कीट की उपलब्धता सुनिशिचित करना एवं उसका अद्यतन करना तथा उपलब्ध दवाईयों की मियाद की जॉच करना।
- विद्यालय में वार्षिक रूप से रंग–रोगन एवं सनरचनागत मरम्मत का कार्य करवाना।
- विद्यालय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित आकड़ों को भरना एवं उसे संधारित करना।

सहायक शिक्षकों की भूमिका :

- बच्चों में स्वच्छता संबंधी व्यवहार परिवर्तन हेतु सार्थक प्रयास करना।
- विद्यालय में उपलब्ध स्वच्छता सुविधाओं का उचित प्रबंधन एवं रख–रखाव हेतु पहल करना।
- बाल संसद के सदस्यों को कार्य में तथा विद्यालय के सभी बच्चों तक संवाद पहुँचाने में मदद करना। सदस्यों को प्रोत्साहित करना।
- बागवानी, घेराबंदी आदि को समय–समय पर छात्रों की मदद से ठीक कराते रहना एवं बच्चों को रचनात्मक कार्यो के प्रति प्रेरित करना।
- स्वच्छ सामग्री के बारे में सभी बच्चों को बताना, उसके उपयोग के तौर–तरीके पर बात करना एवं बच्चों से पूछना तथा यह सुनिश्चित करना कि समझ के अनुरूप चीजों का व्यवहार हो रहा है या नहीं।
- फल के पौधे, कीचन गार्डन, फूलों की क्यारियों, हेज आदि को समय–समय पर संवारने में मदद करना।
- पाठ्य पुस्तक में स्वच्छता संबंधी दी गई सामग्री से भली–भांति बच्चों को परिचित कराना एवं उसके अनुसार खुद व छात्रों को अनुपालन करने में मदद करना।

- व्यक्तिगत सफाई की जांच करना एवं बच्चों को समझाना।
- समय–समय पर /विभिन्न अवसरों पर बाल प्रतियोगिता जैसे –नुक्कड़–नाटक, गीत–संगीत, भाषण, क्विज आदि करना।
- गाँव के प्रत्येक घर में यह संवाद जाए अतः ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों से विद्यालय पोषक क्षेत्र के चारों ओर प्रभातफेरी, दीवार लेखन के माध्यम से बच्चों को उत्साहित करना।

एक स्वच्छ और स्वस्थ विद्यालय अवसरों का चक्रः

स्वच्छ विद्यालय– आधारभूत तत्वः

देश के प्रत्येक स्कूल में सुरक्षित जल, सफाई और स्वच्छता कार्यक्रम के तकनीकी एवं मानव विकास आयामों के संबंधी में कुल आधारभूत हस्तक्षेप आवश्यक है । ये आधारभूत तत्व इस प्रकार हैः

सफाईः

- बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय की व्यवसीा जिसमें एक इकाई में आमतौर पर एक शौचालय (डब्ल्यूसी) और तीन मूत्रालय होंगे । प्रति 40 विद्यार्थियों पर एक इकाई का औसत सुनिश्चित करना होगा ।
- माहवारी संबंधी स्वच्छता प्रबंधन सुविधाएं जिनमें साबुन, कपड़े बदलने के लिए पर्याप्त और निरापद स्थान, कपड़े धोने के लिए पर्याप्त जल और माहवारी संबंधी गंदगी के लिए निस्तारण सुविधाएं जिनमें इनसीनरेटर और कूड़ेदान भी शामिल है ।

अपराह्न भोजन के पहले साबुन से हाथ धोना

- सामुहिक रूप से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध हो जिसमें 10–12 विद्यार्थि एक साथ हाथ धो सकें । हाथ धोने का स्थान सरल, बच्चों की ऊंचाई के अनुरूप और टिकाऊ होना चाहिए जिसमें जल के किफायती इस्तेमाल की व्यवस्था की गई हो । हाथ धोने की इन सुविधाओं को स्थानीय सामग्री का प्रयाग करके विकसित किया जा सकता है ।

  साबुन के साथ सामूहिक रूप से हाथ धोने के सत्र अपराह्न भोजन परोसने से पहले आयोजित किए जाने चाहिए कि बच्चे सही ढंग से हाथ धोएं । हाथ धोने के सत्र बच्चों को स्वच्छता के विषय में संदेश देने का, खासतौर से यह संदेश देने का एक अच्छा अवसर होता है कि अन्हें खाना खने से पहले और शौचालय जाने के बाद हाथ जरूर धोने चाहिए । इन अवसरों को स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल संबंधी संदेश देने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है । अपराह्न भोजन शुरू करने से पहले पर्याप्त समय (अपेक्षतया 10–12 मिनट) दिया जाना चाहिए ताकि सभी बच्चे और सभी अध्यापक साबुन से अच्छी तरह हाथ धो सकें ।

पीन का जल

- बच्चों के लिए पीने और हाथ धोने के लिए जल की अनुकूल और स्थायी व्यवस्था । इसके अलावा, शौचालय की साफ–सफाई और खाना पकाने व तैयारी के लिए भी जल होना चाहिए । पीने के जल के सुरक्षित संभा और भंडारण की व्यवस्थापूरे स्कूल में अपनाई जानी चाहिए ।

संचालन एवं रख–रखाव (ओ एण्ड एम)

- सभी जल, स्वच्छता एवं हाथ धोने से संबंधित साफ–सुथरी, चालू हाल में में हों ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके अपेक्षित परिणाम मिलें और उन पर किया गया पूंजीगत व्यय व्यथ न चला जाए । इस मद में वार्षिक रख–रखाव अनुबंध भी जाी किए जा सकते हैं जिनमें इन सुविधाओं के नियमित रख–रखाव अनुबंधों में इस बात को भी चिन्हित किया जा सकता है कि कब और कहाँ मरम्मत की जरूरत है । विकल्प के तौर पर इस मद में कोई स्थानीय प्रबंध भी किया जा सकता है जिसमें स्थानीय सफाईकर्मी/क्लीनर को स्कूल/जिले द्वारा नियुक्त किया जा सकता है और उसे साबुन, कीटनाशकों, झाड़ू, ब्रस, बाल्टी आदि की नियमित आपूर्ति की जा सकती है ।

- एसएमसी द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के उचित समूह द्वारा जल एवं स्वच्छता सुविधाओं का नियमित/दैनिक निरीक्षण ।

व्यवहार परिवर्तन गतिवधियाँ

- जल, सफाई एवं स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन गतिविधियाँ सभी बच्चों की दिनचर्या का हिस्सा होनी चाहिए । स्वच्छता संबंधी संदेशों को पाठ्यपुस्तकीय पाठ्यचर्या में भी समेकित किया जा सकता है या उन्हें पूरक पाठ्यसामग्री या गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धतियों अथवा प्रातःकालीन सभा के जरिए भी संप्रेशित किया जा सकता है ।
- अध्यापिकाओं द्वारा बालिकाओं को एक संवेदशील और सहायक ढंग से माहवारी संबंधी स्वच्छता प्रबंधन के बारे में सिखाया जाना चाहिए । अध्यापिकाओं को चाहिए कि वे माहवारी के दौरान बालिकाओं के प्रोत्साहन व सहायता के लिए उपयुक्त कदम उठाएं ताकि बालिकाओं को स्कूल से गैरहाजिर न होना पड़े । इसमें स्कूल में माहवारी संबंधी स्वच्छता शिक्षा सत्रों का आयोजन करने के साथ–साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कदम भी उठाए जाएं कि बालिकाओं पास अपने कपड़े धोने और बदलने के लिए एक सुरक्षित और निजी जगह हो । कुछ स्कूलों में मौजूदा सुविधाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है; अन्य स्कूलों के लिए नई सुविधाओं का निर्माण करना होगा । बालिकाओं को सहायता दने के लिए स्कूल में अतिरिक्त सेनेटरी पैड और कपड़े (जैसे स्कूल की वर्दी की अच्छी–खासी मात्रा) जमा की जानी चाहिए ताकि आपात स्थिति में उनका उपयोग किया जा सके । इसके अलावा अध्यापकों/अध्यापिकाओं के लिए बेहतर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाना चाहिए ।

क्षमतावर्धनः

- इस क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर क्षमताओं में सुधार लाना बहुत आवश्यक है ताकि जल, सफाई और स्वच्छता को सुगम बनाने उनका वित्तपोषण करने, प्रबंधन और देख रेख के कौशल, ज्ञान और अनुभवों का सही समन्वय किया जा सके । उदाहरण के लिए, अध्यापक और एसएमसी सदस्यों को इन सुविधाओं के समतापरक इस्तेमाल और रख–रखाव के तरीके समझने चाहिए, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि स्वच्छता पर पर्याप्त रूप से जोर दिया जाए और इन तत्वों की निगरानी नियमित रूप से की जाए । इसके अलावा, स्कूलों में जल, सफाई और स्वच्छता कार्यक्रम लागू करने के साथ–साथ नई सीखों का भी समावेश करना होगा और नए किस्म के कार्यक्रम भी विकसित करने होंगे ।

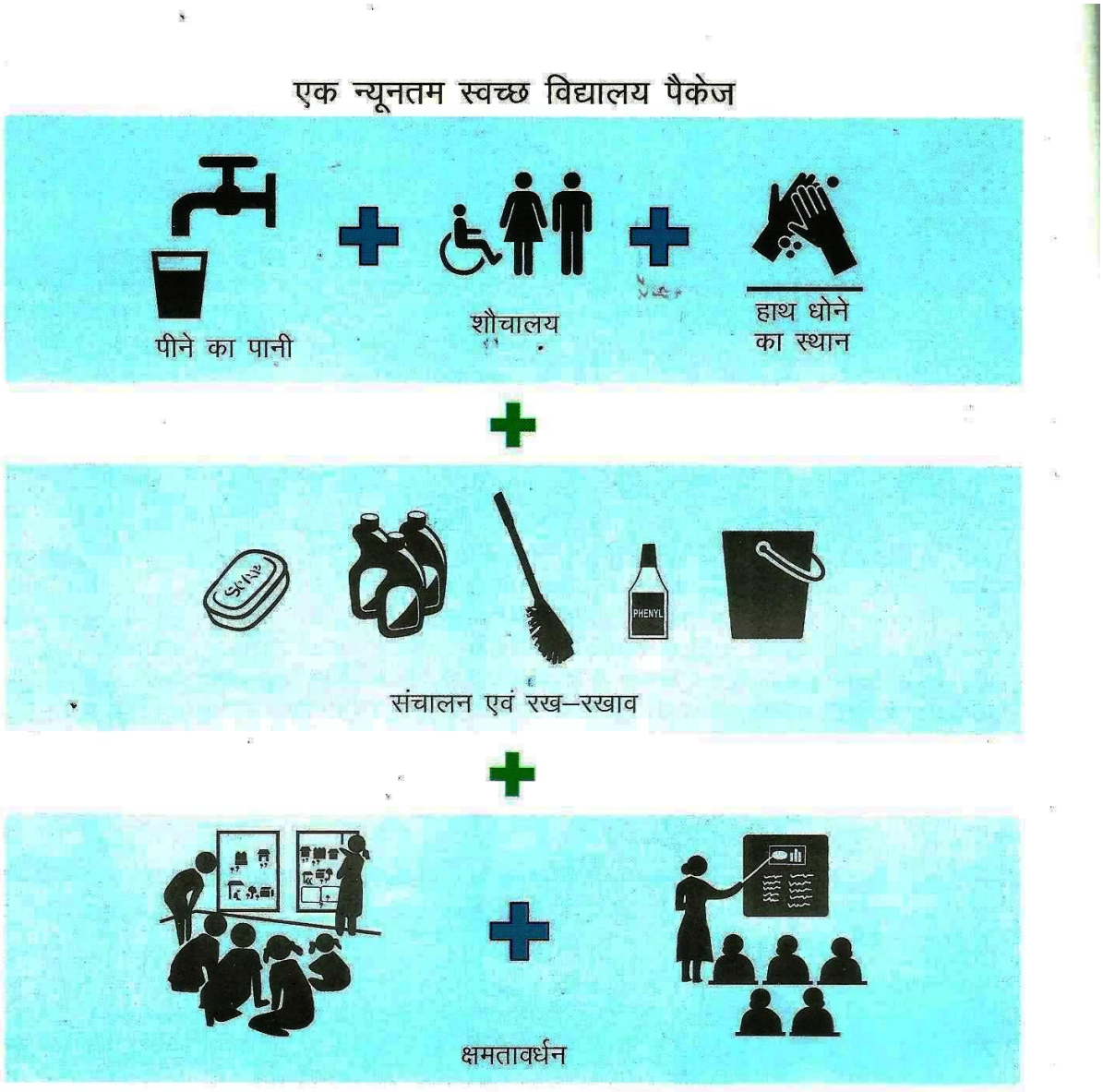

संचालन एवं रख–रखावः दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, मौसमी और वार्षिक रख–रखावः

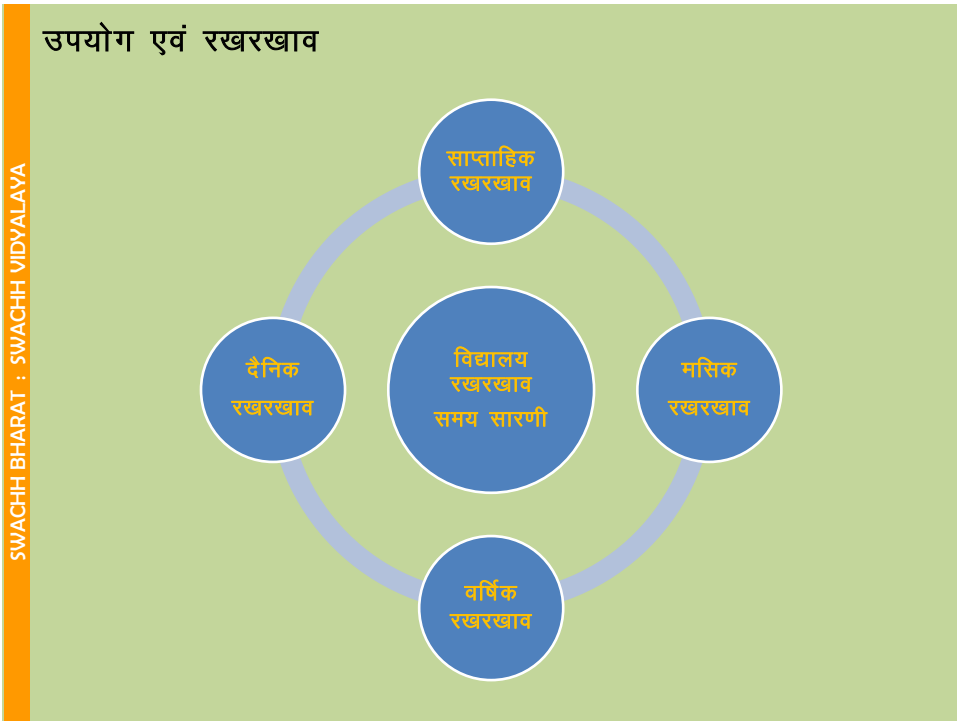

हमारे स्कूल की रख–रखाव समय सारणीः

- एसएमसी के कुछ सदस्यों और कुछ अध्यापकों को स्कूल संचालन एवं रख–रखाव (ओ एण्ड एम) समय सारणी को सुचारू रूप से चलाने का दायित्व संभालना होगा । रख–रखाव समय सारणी का सही ढंग से पालन किया जा रहा हे या नहीं, इस पर अंकुश रखने के लिए जिला/बी.आर.सी. /सी.आर.सी. कर्मचारियों को नियमित रूप से अपने दौरों की भी योजना बनानी होगी । इसके लिए एक सुपरवाइजर (उपयुक्त स्तर पर) केन्द्रों का दौरा करेगा और समुचित फॉलोअप कार्रवाई के लिए अपनी टिप्पणियाँ देगा । रख–रखाव समय सारणी की सामान्य चेकलिस्ट इस प्रकार होगीः

दैनिक रख–रखावः

- शौचालय और रसोई घर सहित समूचे विद्यालय परिसर के भीतरी फर्श की सामान्य सफाई ।
- पूरे विद्यालय परिसर में कहीं भी होने वाले जल भराव की सफाई ।
- भंडार, डेस्क और बैंचों तथा खिलौनों/पुस्तक भंडारों की झाड़–पोंछ ।

साप्ताहिक रख–रखाव

- नलकों से होने वाले रिसाव, वॉल्वों, फ्लशिंग सिस्टर्न आदि की जाँच
- नालियों, सीवेज पाईपों और गंदे जल के पाइपो में किसी भी तरह के अवरोध की जाँच
- आवश्यकता के अनुसार बेलचों से मिट्टी का चूरा बनाना

पाक्षिक रख–रखाव

- सभी उपकरणों और दीवारों आदि से धूल झाड़ना ।
- परिसर में कहीं भी पड़े मलबे/कचरे/इमारती कचरे को हटाना ।
- खुले प्रांगण में कहीं भी जल भराव को रोकना ।
- जमीन पर, प्रांगण में और प्रांगण से निकलने वाली नालियों में किसी भी तरह के कचरे को साफ करना ।

- दीवारों (खासतौर से उनके कोनों और किनारों), दरवाजों, खिड़कियों, अलमारियों के शटर पर जहाँ भी इनेमल पेंट किया गया हो वहाँ एक गीले कपड़े/डिटरजेंट युक्त कपड़े से दाग–धब्बों की सफाई ।

मासिक रख–रखाव

- दीवारें, छत और फर्श पर सीलन की जाँच करना ।
- इमारत में कही भी दीमक की मौजूदगी की जाँच करना ।
- इस बात की जाँच करना कि सभी दरवाजे, खिड़कियाँ और अलमारियाँ चालू हालत में हों ।
- दीवारों और छतों पर किसी भी तरह की दरारों की जाँच करना ।
- इस बात की जाँच करना कि जल की टंकियाँ अच्छी तरह ढकी हुई हैं या नहीं और कहीं जल का रिसाव तो नहीं हो रहा है और संग्रहित जल साफ है या नहीं ।
- इस बात की जाँच करना कि मेनहोलों/निरीक्षण कक्षों के ढक्कन सही ढंग से लगे हैं या नहीं और वे क्षतिग्रस्त तो नहीं हैं ।
- यह पता लागाना कि फर्स्ट एड किट अद्यतन है या हीं और उसमें मौजूद दवाईयों की मियाद खत्म तो नहीं हो गई है । आवश्यकतानुसार नई दवाईयाँ मंगाना ।

मौसमी/तिमाही रख–रखाव (मानसून से पहले)

- जाँच करें कि जल की टंकी में कहीं रिसाव तो नहीं है । अगर टंकी में किसी तरह का रिसाव पाया जाता है तो उसपर जलरोधक सीमेंट या सीलेंट से उसको बंद किया जाए और टंकी की नियमित अंतराल पर सफाई की जाए ।
- अगर भूमिगत टंकियाँ हैं तो इस बात पर नजर रखे किवे अच्छी तरह ढ़की हुई हों और टंकियों का मुहाना सही तथा आसपास की सतह से ऊपर हो ।

  छत, जल की निकासी के बिंदुओं की सफाई की जाए, किसी भी तरह की दरारों, गिर रहे गोले, मुंडेर, छज्जे आदि की जाँच की जाए ।
- स्कूल का मैदान समतल और साफ हो ।
- बिजली की लाइनों और अर्थिंग (यदि प्रासंगिक हो) की गहन जाँच की जाए ।
- पंखों, ट्यूबलाईटो और बल्बों से सभी तरह की धूल साफ की जाए ।
- कूलरों (यदि हो तो), जल की टंकी को साफ किया जाए, उनके पैड बदले जाएँ, उनकी विद्युत व्यवस्था और अर्थिंग की जाँच की जाए ।
- उपरोक्त पद्धति के अनुसार जल की टंकियों की पूरी तरह सफाई की जाए । सभी दरवाजों और खिड़कियों के कब्जों, नट बोल्ट और अन्य हिस्से चालू हालत में हो, इस बात की जाँच की जाए ।
- किसी भी तरह की जल की टंकी की गहन जाँच की जाए । अगर टंकियाँ छोटी है तो उनमें होने वाले किसी भी तरह के रिसाव का फौरन पता लगाया जाए और उनकी तत्काल मरम्मत की जाए ।

वार्षिक रख–रखाव

- छुट्टियों के दौरान समान्य मरम्मत और रख–रखाव
- संरचनागत मरम्मत और प्लास्टर कार्य
- संबंधित रंग–रोगन कार्य
- सीवर और गंदे जल के पाइपों की पूरी सफाई की जाए ।
- निरीक्षण और जंक्शन चेम्बरों की पूरी सफाई की जाए । कहीं रिसाव हो तो उसकी मरम्मत की जाए ।

- अगर सेप्टिक टैंक और लीच पिट का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उनकी पूरी सफाई की जाए ।
- बिजली की सभी लाइनों और आर्थिक की कोई भी बड़ी मरम्मत हो तो उसे किया जाए ।
- ब्लैक बोर्डो की मरम्मत । सभी दरवाजों और खिड़कियों के कब्जों और नट–बोल्ट की जाँच करें ।

''स्वच्छ विद्यालय : स्वस्थ्य बच्चे '' अभियान

विद्यालय स्तर पर किये जाने वाली गतिविधियाँः

क्र. सं.	तिथि	दिन	गतिविधियाँ
1	18.08.15	मंगल	राज्य स्तर पर ''स्वच्छ विद्यालय : स्वस्थ्य बच्चे'' अभियान का शुभारंभ।
2	20.08.15	गुरू	जिला स्तर पर ''स्वच्छ विद्यालय : स्वस्थ्य बच्चे'' अभियान का शुभारंभ। कार्यक्रम के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु दूरदर्शन, रेडियो, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडीया तथा अन्य संचार साधनों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। साथ ही विभिन्न विद्यालयों के अच्छे एवं सकारात्मक अनुभवों/पहलुओं पर प्रकाश डालने हेतु समन्वय स्थापित किया जाए।
3	21.08.15	शुक्र	• गुरूगोष्ठी का आयोजन जिसमें ''स्वच्छ विद्यालय : स्वस्थ्य बच्चे'' अभियान के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी । • सभी विद्यालयों को अभियान से संबंधित आई.ई.सी. सामग्रियाँ उपलब्ध कराना। • अभियान की सफलता हेतु शिक्षकों को संवेदनशील एवं उत्तरदायी बनाने हेतु शिक्षकों का उन्मुखीकरण कराना।
दैनिक गतिविधियाँः			• मध्याह्न भोजन के पूर्व हाथ धुलाई का कार्यक्रम ताकि बच्चों में इसकी आदत विकसित की जा सके। • साफ–सफाई से संबंधित गतिविधियां। • पाठचर्या में शामिल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी विषयों पर शिक्षकों द्वारा व्याख्यान।
4	22.08.15	शनि	• विद्यालय स्तर पर ''स्वच्छ विद्यालय : स्वस्थ्य बच्चे'' अभियान का शुभारंभ । • विद्यालय प्रबंध समिति / ग्राम शिक्षा समिति / सरस्वती वाहिनी / स्थानीय प्राधिकार के सदस्यों का विद्यालय परिसर में आमंत्रण । • बच्चों द्वारा स्वच्छता गीत / लघुनाटिका इत्यादि का प्रदर्शन । • अभियान के उद्देश्य एवं स्वच्छता के महत्व पर परिचर्चा। • उपस्थित सदस्यों द्वारा विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण ।
5	23.08.15	रवि	अवकाश
6	24.08.15	सोम	• पोषक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रभातफेरी का आयोजन । • विद्यालय प्रबंध समिति का उन्मुखीकरण। • महात्मा गांधी के द्वारा स्वच्छता के संबंध मे दिये गए मंत्र पर बाल संसद एवं शिक्षकों द्वारा चर्चा। विगत सप्ताह में किए गए कार्यों की समीक्षा तथा बच्चों के श्रेष्ठ समूह का कार्य के आधार पर चयन एवं प्रशंसापत्र देना।

7	25.08.15	मंगल	• प्रार्थना सभा के दौरान व्यक्तिगत एवं संस्थागत साफ–सफाई के महत्व पर संक्षिप्त चर्चा । • बच्चों एवं शिक्षकों तथा अन्य के सहयोग से विद्यालय परिसर की विशेष साफ–सफाई । • बाल संसद के सदस्यों के साथ कार्ययोजना पर विमर्श एवं दायित्वों का बंटवारा । • विद्यालय में नामांकित छात्रों का कार्य विभाजन, समूह का निर्माण एवं नेतृत्वकर्त्ता का चयन ।
8	26.08.15	बुध	विद्यालय में उपलब्ध कक्षा–कक्ष की विशेष सफाई एवं उसे आर्कषक बनाने हेतु उपलब्ध संसाधनों का उपयोग।
9	27.08.15	गुरू	विद्यालय में उपलब्ध साईंस कीट, गणित कीट पुस्तकालय इत्यादि की साज–सज्जा एवं सामग्रियों का उचित रख–रखाव।
10	28.08.15	शुक्र	विद्यालय में उपलब्ध शौचालय, पेयजल श्रोत की साफ–सफाई तथा उसे व्यवहार में लाने हेतु बच्चों को प्रोत्साहित करना ।
11	29.08.15	शनि	• ''स्वच्छ विद्यालय : स्वस्थ्य बच्चे'' अभियान के विषय वस्तु पर विविध प्रतियोगिताओं यथा– पेंटिंग एवं निबंध इत्यादि का आयोजन। • श्रेष्ठ छात्रों को पुरस्कृत करना एवं बच्चों द्वारा निर्मित कलाकृतियों का विद्यालय में प्रदर्शन ।
12	30.08.15	रवि	अवकाश
13	31.08.15	सोम	• बाल संसद का उन्मुखीकरण तथा स्वच्छता पर विशेष जानकारी देना। विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर यथा– घर, गांव इत्यादि के साफ–सफाई एवं उचित रख रखाव पर विशेष जानकारी प्रदान करना ।
14	01.09.15	मंगल	मध्याहन् भोजन हेतु उपलब्ध पाकशाला की विशेष साफ सफाई एवं राशन सामग्री हेतु उपलब्ध भंडारकक्ष की साफ–सफाई एवं उचित रख–रखाव ।
15	02.09.15	बुध	• विद्यालय में विभिन्न समितियों के सदस्यों के साथ बैठक एवं विद्यालय स्तर पर अब तक संचालित गतिविधियों पर चर्चा । • विद्यालय प्रबंधन समिति को अभियान में और भी उत्तरदायी बनाने हेतु गतिविधियों का आयोजन। • समुदाय के स्तर पर अपेक्षित सहयोग हेतु अपील ।
16	03.09.15	गुरू	प्रभातफेरी का आयोजन ।
17	04.09.15	शुक्र	• प्रार्थनासभा के दौरान व्यक्तिगत साफ–सफाई का बच्चों द्वारा निरीक्षण एवं परिचर्चा । • स्वच्छता विषय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन ।
18	05.09.15	शनि	स्वच्छता संबंधी वाद–विवाद एवं भाषण का आयोजन।
19	06.09.15	रवि	अवकाश
20	07.09.15	सोम	• बच्चों को उनके पाठचर्या में दिये गये दूषित जल से गंदे पदार्थो को पृथक कर उपयोग लायक बनाने के क्रिया–कलाप कराना। • विद्यालयों में उपलब्ध जल स्रोतो के जल का परीक्षण हेतु पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से समन्वय स्थापित करना। • जलमनी कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयों में वाटर फिल्टर उपलब्ध कराने हेतु पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से अनुरोध करना।
21	08.09.15	मंगल	शौचालय का उपयोग एवं इसके फायदे पर चर्चा ।
22	09.09.15	बुध	प्रभातफेरी का आयोजन एवं पोषक क्षेत्र में घर–घर सफाई का संदेश देना ।

23	10.09.15	गुरू	विद्यालय परिसर एवं कक्षाओं की विशेष सफाई ।
24	11.09.15	शुक्र	अभियान पर केंद्रित स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन ।
25	12.09.15	शनि	• बाल संसद के साथ अबतक किए गए कार्यों पर चर्चा एवं भावी रणनीति का निर्माण । • स्वच्छता संबंधी चेकलिस्ट संधारण करना, जिसपर विद्यालयों में उपलब्ध स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी अद्यतन जानकारी हो। • शौचालय में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना। • बाल संसद की देख–रेख में दल बनाना जो चक्रानुक्रम रूप से पानी की व्यवस्था करें।
26	13.09.15	रवि	अवकाश
27	14.09.15	सोम	• शिक्षकों एवं बच्चों द्वारा श्रेष्ठ स्लोगन का विद्यालय के दिवालों पर लेखन । • विद्यालय के अच्छे अनुभवों को अन्य विद्यालय के साथ साझा करना।
28	15.09.15	मंगल	शौचालय एवं पेयजल श्रोत की साफ–सफाई तथा सरस्वती वाहिनी के सदस्यों के साथ कचरा निस्तारण पर चर्चा ।
29	16.09.15	बुध	• प्रभातफेरी • अभियान की उपलब्धि हेतु विद्यालय स्तर पर चिन्हित सूचकों के आधार पर रिपोर्ट कार्ड बनाना।
30	15.09.15	गुरू	• प्रार्थना सभा के दौरान स्वच्छता गीत का आयोजन । अभियान के दौरान श्रेष्ठ बच्चों, शिक्षकों एवं अन्य सदस्यों का चयन । • अभियान के समापन समारोह हेतु आवश्यक तैयारी । • विद्यालय प्रबंध समिति / ग्राम शिक्षा समिति / सरस्वती वाहिनी / स्थानीय प्राधिकार के सदस्यों को आमंत्रण।
31	18.09.15	शुक्र	• बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन । • श्रेष्ठ बच्चों को पारितोषिक प्रदान करना । • स्वच्छता पर अपील एवं शपथ ग्रहण ।

अभियान की गतिविधियों से संबंधित फोटो गैलरीः

अभियान का उद्घाटन करते माननीय मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री

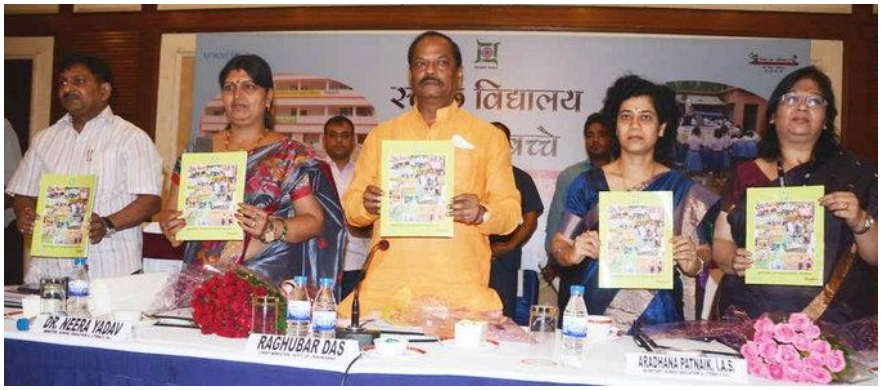

अभियान से संबंधित निर्देशिका का विमोचन करते माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं सचिव

कोडरमा
(झारखण्ड)

Girls Toilet

रांची | प्रभात खबर www.prabhatkhabar.com | सिटी लाइफ | रांची, बुधवार 19.08.2015 | 22

शिक्षा. स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान की शुरुआत, सीएम ने कहा

अधिकारी साफ नीयत से काम करें

लाइफ रिपोर्टर @ रांची

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि अधिकारी-कर्मचारी को सस्पेंड करने से समस्या का समाधान नहीं होगा. अधिकारी साफ नीयत से काम करें. आलोचना से कभी घबरायें नहीं. आलोचना को सकारात्मक रूप में लें और गलती को सुधारने का प्रयास करें. लेकिन यदि बार-बार गलती करेंगे, तो छोड़ा भी नहीं जायेगा. ऐसे अधिकारियों के पास सरकार में कोई जगह नहीं है. उक्त बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार होटल बीएनआर चाणक्या में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तत्वावधान में स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान के उदघाटन समारोह में कही.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक अस्थिरता के कारण राज्य का विकास बाधित हुआ है. जनता ने हमें स्पष्ट जनादेश दिया है. सात माह में उनकी सरकार ने कई कामों की शुरुआत की है. राज्य में काम तेजी से आगे बढ़ा है. शिक्षा विभाग बेहतर काम कर रहा है. इस वर्ष अब तक सात हजार शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है. मुख्यमंत्री ने शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि सिर्फ बच्चों के नामांकन होने से समस्या का समाधान नहीं होगा. नामांकित बच्चे स्कूल में बने रहें, इसे भी सुनिश्चित करना होगा. राज्य में अभी काफी काम करना है. कई क्षेत्रों में कमियां भी हैं, इसे दूर करने के लिए हमें लगन से काम करना होगा. सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी. अधिकारी-कर्मचारी समर्पण के साथ काम करें. धन्यवाद ज्ञापन यूनिसेफ झारखंड की हेड मधुलिका जोनाथन ने किया. कार्यक्रम में यूनिसेफ सहयोगी है. मौके पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनीष रंजन, झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक हंसराज सिंह, परियोजना के प्रशासी पदाधिकारी प्रदीप कुमार चौबे समेत विभिन्न जिलों डीइओ व डीएसइ मौजूद थे.

मुख्यमंत्री रघुवर दास और शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव ने विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान का उदघाटन किया.

मेवा के लिए राजनीति में नहीं आया

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे राजनीति को सेवा का माध्यम मानते हैं. राजनीति में सेवा के लिए आये हैं. उन्होंने कहा कि मेवा पाने के लिए वे राजनीति में नहीं आया. राजनीति में स्थिति बदलने के लिए आये हैं.

टीवी से संस्कार सीख रहे बच्चे

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बच्चे टीवी से संस्कार सीख रहे हैं. घर व स्कूलों में बच्चों को वह संस्कार नहीं मिल रहा है, जो मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ऐसी व्यवस्था करे कि विद्यालय में प्रतिदिन आधा घंटा बच्चों को संस्कार से संबंधित शिक्षा दी जाये.

स्कूलों में हुई पेयजल की व्यवस्था

पेयजल व स्वच्छता विभाग के सचिव एपी सिंह ने कहा कि राज्य के स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था हो गयी है. राज्य में मात्र 200 ऐसे विद्यालय हैं, जहां पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पायी है. ये विद्यालय पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है. वहां भी पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है.

शत-प्रतिशत स्कूलों में शौचालय

शिक्षा सचिव आराधना पटनायक ने कहा कि राज्य के शत-प्रतिशत विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था हो गयी है. सभी विद्यालयों में लड़का व लड़की के लिए अलग-अलग क्रियाशील शौचालय बन गये है. उन्होंने कहा कि स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान के बारे में बताया. यह अभियान एक माह तक चलेगा.

आलोचना से घबरायें नहीं अधिकारी | राजनीतिक अस्थिरता से बाधित हुआ विकास

स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान के कार्यक्रम में उपस्थित लोग.

क्षेत्र में जायें डीइओ-डीएसइ : शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव ने कहा कि डीइओ-डीएसइ क्षेत्र में जाये. आंकड़ों से नहीं व्यवहारिकता में स्थिति बदलनी चाहिए. क्षेत्र में जाकर देखने से काफी दुख होता है. हम केवल अधिकार की बात नहीं करें, अधिकार के साथ कर्तव्य की भी बात करें. शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम होटल की जगह किसी विद्यालय परिसर में होता, तो अधिक कारगर होता. साफ-सफाई के लिए बच्चों को प्रेरित करने की आवश्यकता है. साफ-सफाई के लिए मानसिकता बदलनी होगी. शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ विद्यालयों में बच्चों से काम कराये जाने की सूचना मिली है. इसे सहन नहीं किया जायेगा. शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से अलग कर दिया गया है.

Children join chief minister Raghubar Das to launch the school cleanliness campaign in Ranchi on Tuesday. DIWAKAR PRASAD/HT

Govt launches 'clean schools, healthy students' campaign

HT Correspondent
jharkhand@hindustantimes.com

RANCHI: The Jharkhand government launched the "Swachh Vidyalaya, Swasth Bachhe" (Clean schools, healthy students) campaign on Tuesday.

The programme began with an address by UNICEF child reporters - 11-year-old Kiran Kumari and 13-year-old Rahul Roy from Government Middle Schools of Nagri & Ratu in Ranchi.

They spoke about the importance of handwashing, toilet use and safe drinking water and shared their experiences in spreading the hygiene and sanitation message amongst their peers and family.

Chief minister Raghubar Das appealed teachers, education officers and other government officials to help create model schools and villages.

"I am guided by Mahatma Gandhi's dream of a swachh village with healthy and educated citizens," Das said, urging state human resource development (HRD) department to organize a 30-minute session daily for children in schools on sanitation and hygiene practices.

"Children are the agents of change and they can carry the sanitation and hygiene messages back to their family and community. The SMC (School Managing Committee) can support this effort by monitoring the activities in the village and mobilizing the community to make a swachh village," the chief minister said.

> Children are the agents of change and they can carry the sanitation and hygiene messages back to their family and community. The school managing committee can support this effort by monitoring the activities in the village
>
> RAGHUBAR DAS, chief minister

State HRD minister Neera Yadav said the state can progress only when its citizens are healthy.

"This can be possible if sanitation and hygiene practices are adopted by all. Schoolchildren can be the messengers and brand ambassadors for the Swachh Vidyalaya and the national Swachh Bharat initiative."

HRD department secretary Aradhana Patnaik claimed all the government schools in Jharkhand have toilets for boys and girls.

"This has been made possible because of the convergence between departments and the work at the ground level by teachers, SMCs, development partners and PSUs. The challenge is the use and maintenance of these toilets for which the role of the Bal Sansad members and teachers becomes very important," Patnaik said.

dainikbhaskar.com | दैनिक भास्कर, रांची, बुधवार

शुभारंभ | स्वच्छ विद्यालय-स्वस्थ बच्चे अभियान का सीएम ने किया उद्घाटन

शिक्षक जिम्मेदारी से काम करें तो बदल जाएगी सूरत

एजुकेशन रिपोर्टर | रांची

अमीर राज्य, गरीब लोग। आजादी के 68 साल बाद भी झारखंड में अशिक्षा, गरीबी, कुपोषण और ड्रॉपआउट जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। अगर अधिकारी और शिक्षक अपने काम को जिम्मेदारी से करें तो राज्य की सूरत बदल जाएगी। यह बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कही। वे मंगलवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से आयोजित स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

अभियान की शुरुआत करते हुए सीएम ने कहा कि शिक्षा विभाग में आज भी कई कमियां हैं। लेकिन हमें कमियों को नहीं देख अपने काम को ईमानदारीपूर्वक करने की जरूरत है। अधिकारी काम के सिर्फ आंकड़े नहीं दिखाएं, जमीनी स्तर पर कार्य कर दिखाएं। अधिकारी अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन समिति के साथ बैठक कर कमियां दूर करें। स्कूल में हर दिन एक घंटी छात्रों में संस्कार की लेने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी काम में लग जाएं, तभी यह अभियान सफल हो सकता है। राज्य के 40174 स्कूलों में यह अभियान 17 सितंबर तक चलेगा। कार्यक्रम में पेयजल एवं स्वच्छता सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह, यूनिसेफ सीएफओ डॉ. मधुलिका जोनाथन, परियोजना निदेशक हंस राज सिंह, प्राथमिक शिक्षा निदेशक कमल शंकर श्रीवास्तव सहित सभी जिलों के डीईओ, डीएसई, स्कूलों के प्रधानाध्यापक उपस्थित थे।

अभियान का शुभारंभ करते सीएम रघुवर दास। साथ में शिक्षा मंत्री व कस्तूरबा स्कूल की बच्चियां।

मॉनिटरिंग करें अधिकारी, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई

कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉ. नीरा यादव ने अधिकारियों को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि स्कूलों में बच्चों से चावल के बोरे उठवाए जाते हैं और बर्तन धुलवाए जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए अधिकारी स्कूलों का सघन मॉनिटरिंग करें। अगर कोई स्कूल को शिक्षक या प्रधानाध्यापक ऐसे करते हैं, तो उनपर कार्रवाई करें। अगर किसी स्कूल में बच्चों से ऐसे काम लिए जाने की घटना होती है तो संबंधित जिले के पदाधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

स्कूलों में शौचालय का निर्माण पूरा

शिक्षा सचिव आराधना पटनायक ने कहा कि राज्य के हरेक स्कूल में एक बालक और एक बालिका शौचालय का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। यह चुनौती है कि इन शौचालयों का सही तरीके से क्रियान्वयन निरंतर कैसे किया जाए। लोगों में जागरूकता लाने के लिए विभाग ने यह अभियान शुरू किया है उन्होंने बताया कि एक महीने तक राज्य के 40174 स्कूलों में पढ़ने वाले 45 लाख बच्चों को सफाई के प्रति जागरूक किया जाएगा।

ऐसे चलेगा एक माह तक अभियान

20 अगस्त को जिला स्तर पर कार्यक्रम होंगे। 21 को स्कूलों में गुरुगोष्ठी और शिक्षकों के लिए वर्कशॉप होगा। बच्चों को एमडीएम से पहले हाथ धुलाई और साफ सफाई का महत्व भी बताया जाएगा। इस पर सभी स्कूलों में व्याख्यान भी होगा। 22 को विद्यालय प्रबंध समिति, ग्राम शिक्षा समिति, सरस्वती वाहिनी के सदस्यों को जागरूक किया जाएगा। 24 को प्रभातफेरी निकाली जाएगी। 25 को परिसर में और 26 को स्कूल के वर्ग कक्ष में विशेष साफ सफाई अभियान, 27 को साइंस किट आदि की उचित देखरेख कैसे करें। 28 को विद्यालय में शौचालय, पेयजल स्रोत की साफ सफाई के लिए प्रेरित किया जाएगा। 29 को स्कूल के श्रेष्ठ छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा। पांच सितंबर को वाद विवाद प्रतियोगिता होगी।

• खाने से पहले शौच के बाद
हाथ धोना है, जरूरी बात"
• मन का मंदिर देवालय, तन
का मंदिर शौचालय"
• स्वच्छ तन में स्वच्छ मन
का निवास होता है"
साफ हाथ में दम है

4 21:57